

# कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

email:aayukt.ele@gmail.com

Phone:01512226551

## --:आदेश:-

निम्नांकित परीक्षार्थी अध्यापकों को निर्देशानुसार उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	जिला	नाम अध्यापक एवं पदस्थापन	विश्वविद्यालय का नाम एवं वर्ष
1.	जोधपुर	प्रदीप कुमार अ. राप्रवि, नवलगियो की ढाणी प.स. वापिणी	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2020-22 ( प्रथम वर्ष)
2.	जोधपुर	सुश्री मोनू बैरवा ,अ.राबाउप्रावि,भीमकौर प.स.लोहावट	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 ( द्वितीय वर्ष)
3.	अजमेर	मंजू यादव,अ. राउप्रावि,मरोगला प.स.सरवाड	पत्राचार बी.एड अनुमति इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली वर्ष 2020-22 (प्रथम वर्ष))
4.	बाडमेर	रविना,अ. राउप्रावि,कोजागियो की ढाणी आटी प.स.बाडमेर	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2020-22 ( प्रथम वर्ष)
5.	बाडमेर	ईशरराम,अ. राउप्रावि,गोंदारो कातला,लीलसर प.स.धनाउ	पत्राचार बी.एड अनुमति महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा 2019-21 ( द्वितीय वर्ष)

उपर्युक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सम्बन्धित अध्यापक को अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
2. आशार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के गलत पाये जाने पर अनुज्ञा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. पाठ्यक्रम की वैधता न होने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार से मान्यता न होने की स्थिति में सम्बन्धित अध्यापक उत्तरदायी होगा तथा किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
5. द्वितीय वर्ष हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक: १५.02.2021

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शि.स/एफ-3/पत्रा.बीएड.अनु/समस्त.म/2021/

प्रतिलिपी:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय),प्रा.शि., जोधपुर/अजमेर/बाडमेर।
2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
3. सम्बन्धित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ।
4. सम्बन्धित अध्यापक रा.प्रा.वि/रा.उ.प्रा.वि.।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर